

26/3/2019

पत्रावली पेश हुई। वकील फरीकेन उपस्थित। विद्वान
 अनिच्छाओं को सुना गया। उभय पक्ष के वकीलों द्वारा
 की गई क्लेम एवं कपीलाधीन निर्वाण के कालोका
 के पश्चात् निष्कर्ष है कि वाद में एक-दूसरों तथा
 विभाजन को जैसा उभय पक्ष संतुष्ट नहीं है। उभय
 पक्ष ने अपीलधीन निर्वाणों को निरस्त कर पत्रावली
 रिमांड करने की मंशा जाहिर की है ताकि वे
 कपीलाधन न्यायालय में समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य
 प्रस्तुति पश्चात् विहित प्रक्रिया से वाद का विचारण
 पूर्ण हो जाने के पश्चात् गिर्जावत प्राप्ति दिखी जाती हो,
 उभय पक्ष की इच्छा में मौके से नियमावली
 प्रभाव तथा वार पैग हो। तदनुसार ही कानून दिखी,
 निर्णय पारित हो। लिहाजा उभय पक्ष की मंशा एवं
 उभय पक्षकारों के मध्य आपसी समझौते से वाद के
 सुलहारे की संभावना को देखते प्रकरण रिमांड
 करते हुए कपीलाधीन निर्वाण निरस्त किया गया
 कपील स्वीकार की जाती है।

~~Signature~~
 (11/11/2019)

राजस्व अपील प्राधिकारी
 वाइमेर

कपीलाधन न्यायालय उपरोक्त ऑटोमेशन
 के कालोका एवं कपीलाधन में निर्देशित कार्रवाई पूर्ण कर
 नये सिरे से निर्णय पारित करे। पत्रावली पूर्ण सुधार
 होकर नंबर से कम हो, दाखिल इस्तर है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
 वाइमेर